

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या:-05/स्था0 (DTO)-30/2013(खंड-1) / श्री वीरेन्द्र प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना दिनांक....  
औरंगाबाद को सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-11644, दिनांक-29.08.2018 द्वारा स्थानांतरित करते हुए अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया गया है, जिसके कारण जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद का पद रिक्त हो गया है।

2. कार्यहित में इनके स्थान पर श्री शशि शेखरम्, जिला परिवहन पदाधिकारी, शेखपुरा को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(विनय कुमार राय)

सरकार के उप सचिव

पटना दिनांक- 15/10/18

ई0-मेल ज्ञापांक-05/स्था0 (DTO)-30/2013(खंड-1) 6646

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनाथ (आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, गया एवं मुंगेर/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं शेखपुरा/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर एवं गया/मोटरयान निरीक्षक, औरंगाबाद एवं शेखपुरा/प्रवर्तन अवर निरीक्षक, औरंगाबाद एवं शेखपुरा/श्री शशि शेखरम्, जिला परिवहन पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/10/18

सरकार के उप सचिव